FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0035 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/02/2025 18:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/02/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:37 बजे **Time To (समय तक):** 12:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/02/2025 **Time (समय):** 14:26 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/02/2025 18:50:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** MEWAR APARTMENT, PRTAPNAGAR JAIPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** TEJPAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABU LAL JATAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1969 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AANAND VIDHYA NIKETAN, UNCH PRATHMIK VIDHYLAY, BHANDOR KHURD, SEWAR BHARATPUR DISTRICT, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AANAND VIDHYA NIKETAN, UCCH PRATHMIK VIDHYLAY, BHANDOR KHURD, SEWAR BHARATPUR DISTRICT, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUNIL GOYAL		पिता:BABU LAL GOYAL	1. HAAL PRASHASNIK ADHIKARI,KARYALAY JILA SHIKSHA,ADHIKARI MUKHYLAY PRIMARIY,SHIKSHA BHARATPUR DISTRICT,BHARATPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 7000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई।	7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर (राज.) महोदय, विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने वावत महोदय, उक्त निवेदन है कि प्रार्थी तेजपाल की रजि. एक मान्यता प्राप्त संस्था जुलाई 1992-93 से आनन्द विध्या. निकेतन उ.प्रा. विद्यालय सुचारू कार्य कर रही है जो कि विछले 2 वर्ष से विध्यालय की प्रोफाईल परिस्थितिवस शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण पुनः सचालन हेतु संबंधित अधिकारी श्री सुनील गोयल जी द्वारा 10,000 (दस हजार) की डिमाण्ड की गई और 2 दिन में पोर्टल चालू कर दिया जावेगा। जिसकी प्रार्थना-पत्र गोयल सहाब ने प्रा.शि. रेलवे वाले में लिखवाई जिसे सहाब लेकर नही गये पैसौ की वजह से और दूसरे दिन 6 फरवरी को जयपुर जाने की कहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर पैसो की हॉ करने पर 6 फरवरी को अपने वॉटसएप पर लिखाई प्रार्थना-पत्र और मान्यता की कॉपी डलवाई गई तथा मैं इनको पैसे देना नही चाहता हॉ मै इन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे को पुरानी रंजिश नही है और ना ही कोई पैसो का लेन-देन है । अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे और मेरी संस्था को पुनः शाला दर्पण पोर्टल पुनःचालू करावे और आठवी की मान्यता की मूल प्रति कार्यालय द्वारा दिवाई जावे की कृपा करे। प्रार्थी एसडी तेजपाल पुत्र श्री बाबूलाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव निवासी आनन्द विध्या. निकेतन उ.प्रा.वि. भॉडोर खुर्द सेवर भतपुर राज. मो. [redacted] दिनांक 12.02.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 14.02.25 एसडी जीतेन्द्र कुमार शर्मा दिनांक 14.02.25 एसडी विवेक त्यागी दिनांक 14.02.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.02.2025 को वक्त 06.37 पी.एम. पर जरिये टेलीफोन श्री तेजपाल से वार्ता होने पर उसने बताया कि मैं तेजपाल पुत्र श्री बाबूलाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव निवासी भॉडोर खुर्द पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल व्यवस्थापक आनन्द विध्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय भॉडोर खुर्द सेवर भरतपुर (राज.) मो. [redacted] है। मेरा रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूल जुलाई 1992-93 से आनन्द विध्या निकेतन उच्च प्राथमिक विध्यालय सुचारू रूप से संचालित है मेरे विध्यालय की प्रोफाईल पिछले 2 वर्ष से परिस्थितिवस शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण पुनः अपडेट किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी श्री सुनील गोयल जी प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्मिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा 10,000/- रूपये (दस हजार) की मांग की गई और 2 दिन में स्कूल की प्रोफाईल शाला दर्पण पोर्टल पर चालू कर दिया जावेगा दिनांक 05.02.2025 को एक प्रार्थना-पत्र सुनील गोयल साहब ने प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय भरतपुर में लिखवाया लेकिन मेरे द्वारा पैसे नही देने के कारण सुनील गोयल साहब लेकर नही गये थे और दूसरे दिन मैने उनसे जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया तो उन्होने 10 दिन की छुट्टी पर जयपुर होना बताया मेरे द्वारा रूपयो की हॉ करने पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] वाट्सएप पर लिखाई प्रार्थना-पत्र और मान्यता की कॉपी डलवाई थी। मै इनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा मै इन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई पैसो का लेन-देन है। निवेदन है कि सुनील गोयल खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी से हुई वार्ता अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला रिश्वत मांग का पाया जाना पर विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। मै यह कार्यवाही एसीबी चौकी धौलपुर से करवाना चाहता हूं कि क्योंकि वह भरतपुर में पदस्थापित है इसलिए एसीबी धौलपुर कराना चाहता हूं। अतः रिश्वत मांग सत्यापन कराये जाने हेतु विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि वह परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर

अवगत करावे एवं विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बाद मांग सत्यापन वापस प्राप्त होने पर सुरक्षित अपने पास रखे। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांकः-14.02.2025/12.00 पीएम. इस समय मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह मय जाप्ता श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, श्री योगेश सिह कानि. 88, व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक, मय टेम्प बॉक्स, सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस चालक मय सरकारी वाहन उपस्थित सर्किट हाऊस भरतपुर आया जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय परिवादी श्री तेजपाल मय लिखित रिपोर्ट तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर के उपस्थित मिला जिसे विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर सुरक्षित अपने पास रखा परिवादी तेजपाल की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, आदि का अवलोकन किया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी श्री तेजपाल ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टि करते हुए बताया कि मेरा रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूल जुलाई 1992-93 से आनन्द विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विध्यालय सुचारू रूप से संचालित है मेरे विध्यालय की प्रोफाईल पिछले 2 वर्ष से परिस्थितिवस शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण पुनः अपडेट किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी श्री सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा 10,000/-रूपये (दस हजार) की मांग की गई और 2 दिन में स्कूल की प्रोफाईल शाला दर्पण पोर्टल पर चालू कर दिया जावेगा दिनांक 05.02.2025 को एक प्रार्थना-पत्र सुनील गोयल साहब ने प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय भरतपुर में लिखवाया लेकिन मेरे द्वारा पैसे नही देने के कारण सुनील गोयल साहब लेकर नही गये थे और दूसरे दिन मैने उनसे जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया तो उन्होने 10 दिन की छुट्टी पर जयपुर होना बताया मेरे द्वारा रूपयो की हॉं करने पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] वाट्सएप पर लिखवाई गई प्रार्थना-पत्र और मान्यता की कॉपी दिनांक 07.02.2025 डलवाई थी। मै इनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा मै इन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई पैसो का लेन-देन बाकी है। निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे और मेरी संस्था को पुनः शाला दर्पण पोर्टल पर करावे एवं आठवी की मान्यता की मूल प्रति कार्यालय द्वारा दिलाई जावे की कृपा करे। परिवादी श्री तेजपाल ने अतिरिक्त पूछताछ पर बताया कि सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने के लिए मैने आपको जरिये दूरभाष शिकायत की थी एवं आपके निर्देशानुसार दिनांक 13.02.2025 को समय करीब 12.30 पी.एम पर मुझे श्री मनोज कुमार कानि. गुर्जर की थड़ी जयपुर मिला जिस पर श्री मनोज कुमार कानि. ने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मुझे अपना परिचय देकर चालू हालात में सुपुर्द किया, जिसको मेरा द्वारा प्राप्त किया जाकर मैं आरोपी सुनील गोयल के पास उसके बताये स्थान पर जाकर मेरी बात आरोपी श्री सुनील गोयल से हुई थी, दौराने वार्ता मेरे द्वारा निवेदन किये जाने पर आरोपी सुनील गोयल मेरे प्राईवेट स्कूल को शाला दर्पण पोर्टल पर पुनः चालू करने की एवज में 10,000 रूपये की रिश्वत लेने की मांग की जिसने वक्त रिश्वत मांग सत्यापन मेरे से 3,000/-प्राप्त कर लिये है मैने रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिये गये 3,000/-रूपये पॉच-पॉच रूपये के छः नोटो के नम्बर नोट कर लिये थे जो निम्न प्रकार है 2 HG 822115, 9 KG 772511, 2EC 860174, 1 RQ 051536, 0 KT 005621, 2 CW 042283 थे एवं शेष 7,000/- रूपये बाद में लेने पर सहमत हो गया है । उक्त वार्ता मैने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को श्री मनोज कुमार कानि. 179 सुपुर्द किया जिसे मनोज कुमार कानि. द्वारा बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। इसके बाद हम आपके निर्देशानुसार जयपुर से रवाना होकर भरतपुर आ गये। मै यह कार्यवाही एसीबी चौकी धौलपुर से करवाना चाहता हूं कि क्योंकि वह भरतपुर में पदस्थापित है इसलिए एसीबी धौलपुर कराना चाहता हूं। परिवादी के उक्त कथनो की पुष्टि श्री मनोज कुमार कानि. 179 द्वारा की गई। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक रिश्वत मांग वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द वापसी प्राप्ति विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 03.00 पी.एम पर वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री तेजपाल व गवाहान श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं दो डीबीडीयां क्रमशः मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डीबीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M, व सील्ड शुदा डीवीडी पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं

रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा परिवादी श्री तेजपाल की रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त प्राईवेट आनन्द विध्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय भांडॉर खुर्द सेवर भरतपुर की प्रोफाईल को शाला दर्पण पोर्टल पर पुनः अपडेट/चालू करवाने की एवज में 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 3,000/-प्राप्त करना एवं शेष 7,000/- रूपये बाद में लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई। दिनांक 14.02.2025/04.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग भरतपुर के नाम तहरीर जरिये वाट्सएप भेजी गई एवं दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने जाने हेतु जरिये टेलीफोन अवगत कराया गया मूल तहरीर आईन्दा पृथक से प्रेषित की गई। इसके बाद 05.00 पी.एम पर जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आये गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवासी सिगंरावली पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर। मो.नं.-[redacted] श्री विवेक त्यागी पुत्र श्री राकेश कुमार त्यागी जाति त्यागी उम्र 28 साल निवासी सांदरा पोस्ट विश्नौदा पुलिस थाना सदर धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय परिवहन विभाग भरतपुर। मो.नं. [redacted] जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी श्री तेजपाल से आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी श्री तेजपाल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 एवं अन्य कागजात को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। तत्पश्चात् समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री तेजपाल ने बताया कि इस समय रात्रि का वक्त हो चुका है और मेरे पास रिश्वत राशि दी जाने हेतु रकम भी उपलब्ध नही है अतः मैं रिश्वत राशि रकम लेकर कल दिनांक 15.02.2025 को उपस्थित हो जाऊंगा इस पर परिवादी श्री तेजपाल व स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 15.02.2025/07.40 ए. एम. इस समय स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक व विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आये जिनको सर्किट हाउस के कमरा में बिठाया गया। इसके बाद समय 07.55 ए.एम पर परिवादी श्री तेजपाल उपस्थित सर्किट हाऊस भरतपुर हुआ जिसने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम हो गया है, जो अभी मेरे पास है। अतः परिवादी को हिदायत कर कमरे में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 08.00 ए.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक के सामने परिवादी श्री तेजपाल ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 14 (चौदह) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 7,000/-(सात हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटो का विवरण निम्न प्रकार हैः- क्रम संख्या नोटो का विवरण नोटो के नम्बर 1.एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819384, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819385, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819386, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819387, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819388, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819389, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819390, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819391, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819392, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819393, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819394, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819395, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819396, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 BB 823592, उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात मनोज कानि0 179 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी टेम्प बॉक्स से निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. 179 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री तेजपाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7000/-रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि0 179 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिस्डकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक से सर्किट हाउस के कमरे में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 के दाहिने हाथ की अंगुलियों

को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कमरे के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर मनोज कुमार कानि0 179 के माध्यम से सर्किट हाउस के कमरे में रखी अलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये । इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्वोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद 08.25 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी तेजपाल स्वतंत्र गवाहन जितेन्द्र कुमार व विवेक त्यागी मय राजकुमार कनिष्ठ सहायक, कानि योगेश न0 88, ब्रहमदेव न0 449 मय सरकारी वाहन मय श्री सरमन सिह कानि. चालक सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर की-बोर्ड, माउस एवं ट्रेप बॉक्स वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु जयपुर रवाना हुआ। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि 179 को सर्किट हाऊस भरतपुर पर ही छोड़ा गया। समय 11.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह मय परिवादी मय टे्प टीम मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी एव प्राईवेट वाहन के भरतपुर से रवाना होकर रिद्धी सिद्धी चौराहा जयपुर पहुंचा जहां परिवादी श्री तेजपाल के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कराई गई तो आरोपी ने स्वंय को घर नही होना बताया व शाम को मिलने बाबत बताया इस पर परिवादी से मोबाईल पर पुनः वार्ता कराई जाकर आरोपी से अभी मिलने बाबत कहा गया तो आरोपी सुनील गोयल ने मेवाड अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर पर आने की कहा उक्त मोबाईल वार्ताओं की रिकॉडिंग विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी मय टे्प टीम मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी/ प्राइवेट वाहन के रिद्धी सिद्धी चौराहे से मेवाड अपार्टमेन्ट प्रताप नगर रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय 12.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के रिद्धी सिद्धी चौराहे से मय टे्प टीम मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट व सरकारी वाहन से रवाना होकर करीब 12.50 पी.एम पर मेवाड अपार्टमेन्ट प्रताप नगर के पास पहुंचा जहां परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने की हिदायत कर रिश्वत राशि दिये जाने बाबत हिदायत की गई व परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉडिंग हेतु सुपुर्द किया गया व परिवादी को रिश्वत राशि प्राप्ति के पश्चात् नियत ईशारे किये जाने बाबत समझाईस की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टे्प टीम मय स्वतंत्र गवाहान के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आसपास मौजूद रहे कुछ समय पश्चात् आरोपी सुनील गोयल मेवाड अपार्टमेन्ट के मुख्य द्वार पर एक स्कूटी लेकर आया एवं परिवादी तेजपाल को स्कूटी पर बैठाकर मेवाड़ अपार्टमेन्ट के अन्दर ले गया इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प टीम के आरोपी के पीछे पहुंचा आरोपी परिवादी को मेवाड़ अपार्टमेन्ट के पार्क में ले जाकर वार्ता करने लगा उसी समय परिवादी श्री तेजपाल ने अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा प्राप्त हुआ कि आरोपी सुनील गोयल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर ली गई है इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री विवके त्यागी कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन विभाग भरतपुर के आरोपी के पास पहुंचा जहां परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री तेजपाल ने अपने पास में बैठे हुये एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग भरतपुर जिसने मेरे प्राईवेट स्कूल को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की एवज में मुझसे रिश्वत के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 7,000/-रूपये, पांच-पांच सौ रूपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 14 नोट अपनी स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड 9581 की डिक्की में मुझसे ईशारा देकर रखवाकर प्राप्त किये है। इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर होना बताया आरोपी से उक्त रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है इस पर मौके पर खड़ी स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड 9581 जिसमे चाबी लगी हुई है उक्त चाबी की मदद से स्कूटी की डिक्की को खोलकर देखा तो उसमें पॉच-पॉच सौ के नोट होना पाये गये जिसकी विडियो ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा से कराई गई व डिक्की को पुनः लॉक कर स्कूटी की चाबी स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक को सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपुर्द की गई मौके पर कार्यवाही किये जाने हेतु मेवाड अपार्टमेन्ट के मैनेजर से स्थान उपलब्ध कराये जाने हेतु बताया गया तो वहां पर कोई

उचित स्थान कार्यवाही किये जाने हेतु उपलब्ध नही होने के कारण मन् पुलिस उप अधीक्षक मय आरोपी मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय हमराही जाप्ता मय स्कूटी के पास में स्थित प्रताप नगर थाना जयपुर पर रवाना हुआ, पुलिस थाना प्रतापनगर पहुंचकर थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार पुलिस निरीक्षक से टेªप कार्यवाही प्रक्रिया किये जाने हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने बाबत अवगत कराया गया जिस पर उन्होने स्थान उपलब्ध कराया आरोपी की स्कूटी की डिक्की मे रखी रिश्वत राशि रकम 7000/-रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर गिनवाया गया तो डिक्की में पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 14 नोट कीमत 7,000/-रूपये होना पाया गया नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से मिलान कराया गया तो उक्त नोट वही नोट होना पाये गये जो परिवादी द्वारा फर्द पेशकशी में दिये गये थे। नोटो का विवरण निम्न प्रकार है:- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819384, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819385, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819386, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819387, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819388, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819389, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819390, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819391, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819392, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819393, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819394, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819395, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CV 819396, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 BB 823592, उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी सुनील गोयल की स्कूटी की डिक्की में रिश्वत राशि रखी गई थी रिश्वत राशि बरामदगी स्थान स्कूटी की डिक्की पर एक गीला सफेद रूई का फोहा लिया जाकर उक्त स्थान से सफेद रूई के फोहा को रंगडकर टेªप बॉक्स में एक नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा उक्त घोल में सफेद रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क S-1 व S--2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। टेªप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा से जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 के कराई गई। आरोपी श्री सुनील गोयल, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर से उक्त रिश्वती राशि मांग एवं प्राप्ती के संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैं पिछले 06 साल से जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर में पदस्थापित हूं श्री तेजपाल का प्राईवेट स्कूल आनन्द विध्या निकेतन ग्राम भाडॉर खुर्द सेवर भरतपुर में है जिसका शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराने की बात मेरी तेजपाल से हुई थी, तेजपाल से मेरी इस संबंध में कई बार ऑफिस व फोन से वार्ता हुई थी मैने तेजपाल से एक प्रार्थना-पत्र निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर के नाम से व स्कूल की मान्यता की कॉपी मैने वॉट्सएप पर मंगाई थी दिनांक 13.02.2025 को तेजपाल मेरे पास मिलने जयपुर आया था जिस पर मेरी तेजपाल से आमने-सामने बातचीत हुई थी रिश्वत संबंधी कोई बात हुई हो तो मुझे आज याद नही है, आज दिनांक 15.02.2025 को तेजपाल का फोन मेरे फोन पर आया था तेजपाल ने मुझसे मिलने के लिए कहा था तो मैने शाम को मिलने के लिए कहा तो उन्होने दुबारा कॉल कर जल्दी मिलने के लिए कहा तो मैने उन्हे मेवाड अपार्टमेन्ट प्रताप नगर जयपुर में बुला लिया था तेजपाल के मेवाड अपार्टमेन्ट पहुंचने पर मेरे पास कॉल आया था जिस पर मैं मेरी स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड. 9581 जो कि मेरी बेटी तेजस्वी के नाम से रजिस्टर्ड से मेवाड अपार्टमेन्ट के मुख्य द्वारा पर आया था जहा से स्कूटी पर तेजपाल को बैठाकर मेवाड अपार्टमेन्ट के अन्दर ले गया था, अपार्टमेन्ट के अन्दर पार्क के पास मैने स्कूटी खड़ी कर ईशारा करके रिश्वत राशि स्कूटी की डिक्की में रखवा दी थी व उसके पश्चात् मै व तेजपाल पार्क मे बैंच पर बैठकर बात कर रहे थे तभी आपकी टीम का गई व मुझे पकड लिया आरोपी सुनील गोयल के मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया जावेगा। आरोपी सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा परिवादी श्री तेजपाल के संचालित प्राईवेट स्कूल आनन्द विध्या निकेतन भाडोर खुर्द सेवर जिला भरतपुर को शाला दर्पण पर अपडेट करने एवं स्कूल के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने एवज मे रिश्वत राशि 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,000/-रूपये प्राप्त करना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 14 (चौदह) कुल कीमत 7,000/-(सात हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है

। अतः आरोपी सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.15 पी.एम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री तेजपाल के संचालित प्राईवेट स्कूल आनन्द विद्या निकेतन भाडोर खुर्द सेवर जिला भरतपुर को शाला दर्पण पर अपडेट करने एवं स्कूल के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने एवज मे रिश्वत राशि 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,000/-रूपये प्राप्त करना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 14 (चौदह) कुल कीमत 7,000/-(सात हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा 8120 /- रूपये मिले जिसमें वक्त रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन दिये गये दो नोट पॉच-पॉच सौ रूपये नम्बरी 2 CW 042283 व 2S HG 822115 भी मिले जिन्हे बतौर वजह सबूत पृथक से जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सफदे लिफाफे में रखकर सीब्ड मोहर किया जाकर मार्क C अंकित किया शेष रकम 7120/-रूपये को अनसीब्ड रखा जाकर कब्जा एसीबी लिया गया जिनके बारे में आरोपी से पूछा तो उक्त राशि स्वंय की जेब खर्च की राशि होना बताया आरोपी का जवाब संतोषप्रद पाया गया। आरोपी से मोबाईल के बारे मे पूछा तो आरोपी ने मोबाईल के बारे में कोई सूचना नही दी, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेअनुसार उनके पुत्र श्री रजत को मो. नं. [redacted] पर दी गई। फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 03.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर की जामा तलाशी में मिली रकम 8120/-रूपये जिनमें पॉच-पॉच रूपये के पन्द्रह नोट व सौ-सौ रूपये के छः नोट व बीस रूपये का एक नोट मिला पॉच-पॉच रूपये के नोटो का मिलान परिवादी द्वारा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिये गये रिश्वत राशि 3,000/-रूपये पॉच-पॉच सौ रूपये के छः नोटो के नम्बरो से मिलान किया गया तो दो नोट पॉच-पॉच रूपये के जिनके नम्बर 2 CW 042283 व 2 HG 822115 मिले जो कि परिवादी द्वारा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दी गई राशि के नोट होना पाया गया शेष चार नोट आरोपी द्वारा खर्च हो जाना बताया उक्त दोनो नोटो को बतौर बजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद लिफाफा में रखा जाकर सीब्ड मोहर मार्क C अंकित किया। फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन मय टे^बप टीम मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय सीब्ड शुदा आर्टिकल मय परिवादी मय स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड 9581 बाद कार्यवाही पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर से प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर रवाना हुआ फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता व अन्य कार्यवाही प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर पर की जावेगी। इसके बाद समय 04.25 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन मय टे^बप टीम मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय सीब्ड शुदा आर्टिकल मय परिवादी मय स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड 9581 उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर पहुंचा जहां पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री तेजपाल के मोबाईल नम्ब[redacted] से आरोपी सुनील गोयल के मोबाईल नम्बर[redacted] पर सामान्य वॉइस कॉल वार्ता हुई थी जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता एवं वॉईस कॉल वार्ता को परिवादी श्री तेजपाल व गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व दो डीबीडीयां क्रमशः- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व एक मुलजिम डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब डीवीडी पर मार्क B अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश कुमार 88, मय सरकारी वाहन व चालक के तहरीर दी जाकर हिदायत दी कि आरोपी

श्री सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी का राजकीय जयपुरिया सामान्य चिकित्सालय जयपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट से अवगत कराये जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 06.20 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. मय श्री योगेश कानि. 88 मय सरकारी वाहन मय चालक मय आरोपी श्री सुनील गोयल के बाद स्वास्थ्य परीक्षण जयपुरिया हॉस्पीटल से वापस आया स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई आरोपी को डॉक्टर की दी गई सलाह अनुसार दवाईया समय लेने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् समय 06.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त गवाहन के समक्ष आरोपी सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी श्री तेजपाल से रिश्वत राशि की मांग एंव प्राप्ती के दौरान की गई वार्ता एवं वॉट्सएप पर प्राप्त किये गये प्रार्थना-पत्र एवं दस्तावेज हेतु कार्य मे लिये गये आरोपी सुनील गोयल ने मोबाईल फोन मंगवाया जाकर पेश किया जिसका का आरोपी से पासवर्ड पूछा गया तो उसने लॉक पासवर्ड 7511 होना बताया आरोपी से फोन का लॉक खुलवाया जाकर वॉट्सअप लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी सुनील गोयल के मोबाईल नं [redacted] पर वॉट्सअप एवं वॉट्सअप बिजनिस चालू हालात में है वॉट्सअप बिजनिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से दिनांक 07.02.2025 को कार्य संबंधित प्रार्थना-पत्र व स्कूल की मान्यता की प्रति प्रेषित की हुई है एवं आज दिनांक 15.02.2025 को आरोपी द्वारा परिवादी को मेवाड अपार्टमेन्ट प्रताप नगर जयपुर की लोकेशन भेजी हुई है सुनील गोयल के मोबाईल कॉल लॉग में परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर इनकमिंग व आउट गोईंग कॉल होना पाया गया है परिवादी के मोबाईल पर हुई वार्ता एवं वॉट्सअप बिजनिस पर भेजे मैसेज एवं कॉल लॉग्स का स्क्रीन शॉट लिया जाकर आरोपी सुनील गोयल के मोबाईल से ई-मेल आई.डी acb.op.dlp@gmail.com पर प्रेषित किये गये जिनका प्रिन्ट आउट पृथक निकाला जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा मुताबिक कॉल लॉग्स आरोपी सुनील गोयल व परिवादी तेजपाल रिश्वत मांग एवं रिश्वत प्राप्ती के दौरान एक-दूसरे सम्पर्क मे होना पाया गया। विवरण मोबाईलः- विवो कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की सिम जिसका नम्बर [redacted] व दूसरी सिम बी.एस.एन.एल जिसका नम्बर [redacted] है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड 7511 है जिसका आई एम ई आई नं. 867261069158673/00 व 86726106915865/00 प्रकरण में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया जाकर मोबाईल को फ्लाइट मोड पर किया जाकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का D दिया गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 08.00 पी.एम पर आरोपी श्री सुनील गोयल प्रशासनिक अधिकारी का पुत्र श्री रजत गोयल व अधिवक्ता श्री नरेन्द्र तिवारी प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर पर उपस्थित आये जिनकी मुलाकात आरोपी श्री सुनील गोयल से कराई गई आरोपी के पुत्र रजत गोयल द्वारा आरोपी के लिए खाना व कपडे व दवाईया साथ लाना बताया जिन्हे नियमानुसार आरोपी को सुपुर्द किया जाकर खाना खिलाया गया व आरोपी को पुनः समय पर दवाईया लेने एवं स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर अवगत कराये जाने की हिदायत की गई। आरोपी को सीपीएस, एसीबी जयपुर में निगरानी में रखा गया। सील्ड शुदा आर्टिकल व टे्प बॉक्स को सीपीएस, एसीबी जयपुर पर सुरक्षित रखा गया। स्कूटी को सीपीएस परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया। इसके बाद समय 08.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर की वक्त बरामदगी रिश्वत राशि व आरोपी की स्कूटी नम्बर आर.जे. 05 एस.जेड 9581 की डिक्की की धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी, विभागीय विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की पैन ड्राईव में कॉपी कर मार्क P अंकित कर पैन ड्राईव को सफेद थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई थी। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 08.30 पी.एम पर समय ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 40 को परिवादी श्री तेजपाल व स्वतंत्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में नष्ट किया गया, जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई, फर्द की एक प्रति गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। परिवादी श्री तेजपाल व स्वतंत्र गवाहान को प्रात नक्शे मौके की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया। दिनांक 16.02.2025 समय- 07.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री तेजपाल व स्वतंत्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक उपस्थित सीपीएस एसीबी जयपुर आये जिन्हे सीपीएस एसीबी जयपुर में बिठाया गया। इसके बाद समय 08.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी, कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री तेजपाल के मय पत्रावली मय सरकारी वाहन मय चालक के प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से रिश्वती लेन-देन घटनास्थल के नक्षा मौका व हालात मौका की कार्यवाही हेतु घटनास्थल मेवाड़ अपार्टमेन्ट प्रताप नगर जयपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 09.15 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री तेजपाल के मय पत्रावली मय सरकारी वाहन मय चालक के

उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मेवाड अपार्टमेन्ट प्रताप नगर जयपुर पहुंचा जहां पर घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 10.00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री विवेक त्यागी कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री तेजपाल के मय सरकारी वाहन मय चालक के बाद घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर मेवाड़ अपार्टमेन्ट प्रताप नगर जयपुर से रवाना होकर प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर पहुंचा। सम्पूर्ण टेम्प कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल जी गोयल जाति वैश्य उम्र 59 साल निवासी जी.टी एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा परिवादी श्री तेजपाल के संचालित प्राईवेट स्कूल आनन्द विद्या निकेतन भाडोर खुर्द सेवर जिला भरतपुर को शाला दर्पण पर अपडेट करने एवं स्कूल के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने एवज मे रिश्वत राशि 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,000/-रूपये प्राप्त करना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 15.02.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 14 (चौदह) कुल कीमत 7,000/-(सात हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में प्रमाणित पाये जाने पर में आता है। अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (सुरेन्द्र सिह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर ....कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनील गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल जाति वैश्य उम्र 59 ताल निवासी जी.टी. एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो भरतपुर को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 284 पर अंकित है (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 175-78 दिनांक 17.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, 3.निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो धौलपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/06/1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)